

प्रारूप-50

अनुसूचित जाति उपयोजना-अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत परियोजना का नाम :- मुछियाली-चराकोट मोटर मार्ग से कमरगढ़ होते हुये देहलचौरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 किमी०)

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी.....V.....
2. हरियाली का घनत्व.....0.2
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०.....657,000-00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....1.190 हे०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि.....78,18,300-00

ह०
 प्रभागीय वनाधिकारी
 प्रभागीय वनाधिकारी
 सिविल एव स०यम वन प्रभाग
 पौड़ी

Sammir
 वन क्षेत्राधिकारी
 श्रीनगर राजि

प्रारूप-51

अनुसूचित जाति उपयोजना-तर्गत जनपद पौड़ी के विद्यानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत परियोजना का नाम :- मुछियाली-चराकोट मोटर मार्ग से कमरगढ़ होते हुये देहलचौरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 किमी०)

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

K. J. B.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी गढ़वाल

अभिभाषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
प्रयोक्ता एजन्सी
पौड़ी गढ़वाल